कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन–834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः– 982 दिनांकः– 11.8.2021

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 का 400 के0भी0 टंडवा से चंदवा तक कुल (56.3254 हे0) एवं नोर्थ कर्णपूरा से गया तक (193.2465 हे0) ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **वन विभागीय पत्रांक 4133 दिनांक 22.12.2020**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में सूचित करना है कि मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 द्वारा वनभूमि अपयोजन हेतु वन विभागीय पत्रांक 4133 दिनांक 22.12.2020 द्वारा कुल चार बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है।

पृच्छा का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 182 दिनांक 27.01.2021 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू के पत्रांक 835 दिनांक 15.06.2021 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग एवं पलामू से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण बिन्दुवार निम्नवत् हैः–

क्र0	पृच्छाऐं	निराकरण
क	लातेहार वन प्रमंडल में प्रस्तावित जंगल–झाड़ भूमि हेतु उपायुक्त, लातेहार द्वारा निर्गत अनापति–पत्र।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ने सूचित किया है कि आयुक्त पलामू के पत्रांक 196 दिनांक 24.03.2021 द्वारा निर्गत जंगल–झाड़ी NOC की प्रति संलग्न है। **(अनु0–01)**
ख	वन अधिकार अधिमियम, 2006 के तहत संबंधित उपायुक्त का प्रमाण–पत्र (इस क्रम में हुई बैठकों की कार्यवाही सहित)।	क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 182 दिनांक 27.01.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत उपायुक्त चतरा के पत्रांक 1964 दिनांक 24.12.2020 द्वारा FRA, 2006 के तहत कुल 27.8413 हे0 वनभूमि के लिए प्राप्त अनापति–प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में ग्रामसभा की बैठक की कार्यावाही की प्रति के साथ संलग्न है। **(अनु0–02)** क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू ने अपने पत्रांक 835 दिनांक 15.06.2021 द्वारा सूचित किया है कि लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत उपायुक्त लातेहार के पत्रांक 08 दिनांक 02.06.2021 द्वारा FRA, 2006 के तहत निर्गत कुल 28.4841 हे0 वनभूमि के लिए प्राप्त अनापति–प्रमाण पत्र एवं इस क्रम में ग्रामसभा की बैठक की कार्यावाही की प्रति के साथ संलग्न है। **(अनु0–03)**
ग	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य।	प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची का मंतव्य इस कार्यालय के पत्रांक 333 दिनांक 11.02.2021 द्वारा पूर्व में राज्य सरकार को भेज दिया गया है। सुलभ संकेत हेतु पुनः छायाप्रति संलग्न **(अनु0–04)**

<table>
<tr>
<td>घ</td>
<td>प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्र सं0 985 दिनांक 11.11.2020 के कंडिका–17 के क्रम में CA हेतु शेष अवकृष्ट वनभूमि को चिन्हित करते हुए सभी सुसंगत अभिलेख।</td>
<td>क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग ने अपने पत्रांक 182 दिनांक 27.01.2021 द्वारा सूचित किया गया है कि चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल अन्तर्गत अपयोजित होने वाली कुल 27.8413 हे0 वनभूमि के दो गुने 55.6826 हे0 अवकृष्ट वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चयन किया गया है। जो निम्नवत् हैः–
<table>
<tr><th>क्र0</th><th>वन प्रमंडल का नाम</th><th>मौजा का नाम</th><th>थाना/थाना नं0</th><th>प्लॉट सं0</th><th>रकबा (हे0)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>चतरा दक्षिणी</td><td>बरगांव</td><td>टंडवा /66</td><td>1278,1514, 1515</td><td>55.6826 हे0</td></tr>
</table>
अवकृष्ट वनभूमि का प्रस्ताव एवं संशोधित नक्शा, प्राक्कलन, उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं Geo-reference Map CD सहित संलग्न है। (अनु0–05)</td>
</tr>
</table>

ज्ञातव्य है कि इस कार्यालय के पत्रांक 985 दिनांक 11.11.2020 द्वारा प्रस्ताव की Hard copy की तीन–तीन प्रतियां दो–दो Volume में राज्य सरकार को भेजा गया था। परन्तु तकनीकी खराबी के कारण Online प्रस्ताव एवं Part-IV website पर upload नही हो सका है। जिसे अब Part-IV website पर upload करते हुये प्रस्ताव Online भेजा जा रहा है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 1485 दिनांक 05.08.2021 एवं वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर के पत्रांक 1085 दिनांक 07.08.2021 दोनों पत्रों की (छायाप्रति संलग्न) द्वारा सूचित किया गया है। कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Form-A पार्ट–I एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा पार्ट–II में आवश्यक प्रविष्टि दर्ज कर भारत सरकार के Website पर अपलोड कर दिया गया है।

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू/हजारीबाग से प्राप्त दोनों वन प्रमंडलों से संबंधित अनुपालन प्रतिवेदन की तीन–तीन प्रतियों में भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु **कुल 56.3254 हे0** वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

संचिका में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु0ः–यथोक्त।
तीन–तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

10.8.21

कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांकः– 985 दिनांकः– 11.11.2020

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :– **मेसर्स नोर्थ कर्णपूरा ट्रान्सको लि0 का 400 के0भी0 टंडवा से चंदवा तक ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु कुल 56.3254 हे0 (लातेहार वन प्रमंडल में 28.4841 हे0 तथा चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल में 27.8413 हे0) वन भूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– **1. मुख्य वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर का पत्रांक 1160 दिनांक 17.07. 2020**
2. वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल चतरा के पत्रांक 1010 दिनांक 22.07.2020
3. प्रयोक्ता अभिकरण का पत्रांक NKTL(s)/NKC/2020-21/101 दिनांक 16.09.2020

महाशय,

प्रांसगिक पत्रों 1 एवं 2 द्वारा विषयगत परियोजना सं0 FP/JH/Trans/40694/2019 हेतु कुल **56.3254** हे0, वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव Online तथा Hard Copy प्रत्येक वन प्रमंडल से इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव की जांच के क्रम में कतिपय कमियां/त्रुटियां पाई गई थी, अतः इसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 680 दिनांक 03.09.2020 द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों से 4 बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। तदोपरांत पृच्छित बिन्दओं का निराकरण प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सीधे इस कार्यालय में समर्पित किया गया है। इस परियोजना की ट्रान्समिशन लाईन दो वन प्रमंडलों क्रमशः चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, एवं लातेहार वन प्रमंडल अन्तर्गत से होकर गुजरेगी। वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर एवं लातेहार के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् प्रतिवेदित है :–

1. इस परियोजना हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को कुल 175.1128 हे0 भूमि की आवश्यकता है जिसमें 56.3254 हे0 वनभूमि है, शेष 118.7874 हे0 गैर वनभूमि शामिल है।
2. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विहित प्रपत्र Form A पार्ट–I में Online आवेदन दर्ज है। **अनु0–04**
3. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की प्रमंडलवार रकबा एवं वैधानिक स्थिति निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल का नाम	अधिसूचित वनभूमि का रकबा (हे0 में)	जंगल– झाड़ीवनभूमि का रकबा (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
1	लातेहार	18.3205	10.1636	28.4841	0.5
2	चतरा दक्षिणी	15.7468	12.0945	27.8413	0.5
	कुल :	34.0673	22.2581	56.3254	

11/11

4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी रकबावार/प्रमंडलवार संलग्न है। **अनु0–07 एवं 08**
5. प्रस्ताव के साथ पार्ट–II में वन प्रमंडल पदाधिकारी, चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल, लातेहार वन प्रमंडल का अंनुशसा एवं स्थल निरक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। **अनु0–01 एवं 02**
6. पार्ट–III में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चतरा एवं मेदिनीनगर का अनुशंसा एवं स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। **अनु0–03**
7. पार्ट–IV में अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य संलग्न है।
8. 1:50,000 स्केल के टोपोशीट पर लोकेशन मैप संलग्न है। **अनु0–05**
9. प्रस्ताव के साथ मौजा मैप पर ट्रान्समिशन लाईन का आरेखन दिखाते हुए संलग्न है। **अनु0–06**
10. अपयोजन हेतु प्रस्तावित वनभूमि का Geo referenced मैप संलग्न है। **अनु0–17** एवं DGPS रिपोर्ट 18 है।
11. दोनों वन प्रमंडलों में Transmission line संरेखन में पड़ने वाले वृक्षों की Girth Wise गणना सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है। वनभूमि में वृक्षों की कुल संख्या 10,402 है। अनु0–16
12. प्रस्ताव के साथ लागत–लाभ विश्लेषण संलग्न है। **अनु0–11**
13. प्रस्ताव के साथ Justification of Project संलग्न है। **अनु0–10**
14. प्रस्ताव के साथ इस परियोजना में अन्तर्गत **कुल 22.2581 हे0** जंगल–झाड़ी उपयोग हेतु चतरा दक्षिणी वन प्रमंडल के लिए आयुक्त कार्यालय, हजारीबाग के ज्ञापांक 579 रा0 दिनांक 10.07.2020 द्वारा 12.0945 हे0 हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न है। परन्तु लातेहार वन प्रमंडल हेतु उपायुक्त लातेहार द्वारा अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु उनके पत्रांक 464 दिनांक 06.06.2020 द्वारा आयुक्त पलामू से अनुरोध किया गया है, जो आयुक्त पलामू का पद रिक्त होने के कारण अनापति प्रमाण–पत्र अभी तक अप्राप्त है।
15. प्रस्ताव के साथ वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत् दावा रहित अनापति प्रमाण–पत्र संलग्न नही है। प्रयोक्ता अभिकरण ने सूचित किया है कि यह कार्य प्रकृयाधीन है। 22 गांवों का ग्रामसभा/आमसभा की बैठक की कार्रवाई की प्रति प्राप्त होने पर बाद में समर्पित की जायेगी।
16. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा NPV एवं C.A की राशि जमा करने हेतु वचनबद्धता दी गई है। **अनु0–19 एवं 20**
17. क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोनों वन प्रमंडलों में **कुल 56.3254 हे0** अपयोजित होने वाली वनभूमि के दोगुणे 112.6508 हे0 के विरूद्ध **कुल 112.57 हे0** अवकृष्ट वनभूमि का चयन किया गया है, जो लक्ष्य से 0.0808 हे0 कम है। जिसका विवरणी प्रमंडलवार निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	वन प्रमंडल पदाधिकारी का नाम	मौजा का नाम	थाना/ थाना नं0	प्लॉट सं0	चयनित अवकृष्ट वनभूमि का रकबा (हे0)
1	चतरा दक्षिणी	बरगांव	टंडवा/66	1278,1514,1515	**55.57 हे0**
2	लातेहार	डुड़ंगी	लातेहार/ 183	339,340,341,342	**28.00 हे0**
		डुड़ंगी खुर्द	लातेहार/ 182	297,423,424	**29.00 हे0**
				कुल :	**112.57**

शेष 0.0808 हे0 के लिए संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारियों को निदेश दिया जा रहा है। प्रस्ताव के साथ क्षतिपूरक वनरोपण हेतु प्रस्तावित वनभूमि का नक्शा, DGPS, KML file, वन प्रमंडल पदाधिकारी का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन संलग्न है। **अनु0–15**

18. प्रस्तावित वनभूमि किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी व्याघ्र परियोजना एवं बायोस्फेयर रिजर्व का हिस्सा नहीं है।

19. प्रस्ताव के साथ CWLW, झारखण्ड का मंतव्य प्राप्ति हेतु उनसे अनुरोध किया जा रहा है। प्राप्त होने पर अलग से भेजा जायेगा।

20. वन प्रमंडल पदाधिकारी चतरा दक्षिणी एवं लातेहार ने अपने पार्ट–II के कंडिका 11 के उप कंडिका (I) में No Violation, अंकित किया गया है ।

21. प्रस्तावित वनभूमि के अपयोजन हेतु क्षेत्रीय पदाधिकारियों द्वारा अनुशंसा की गई है, जिससे अधोहस्ताक्षरी भी सहमत हैं।

22. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदोपरान्त प्रस्ताव को ऑनलाईन कर Time Line इस पत्र के साथ संलग्न है।

दोनों वन प्रमंडलों से संबंधित प्रस्ताव की तीन–तीन मूल प्रतियाँ दो–दो Volume में भेजते हुए अनुरोध है कि इस परियोजना हेतु **कुल 56.3254 हे0** वनभूमि अपयोजन हेतु स्टेज–I स्वीकृति प्राप्ति की दिशा में अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन

11/11

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

11.11.20

H:\Vikash\Kaimuddin Sir\मैसर्स अदानी 400 के0भी0 ट्रांसमिशन लाईन टंडवा से चंदवा 56.3254 हे0 .docx

PART –IV

(To be filled in by the Nodal officers or Principal Chief Conservator of Forest or Head of Forest Department)

400 kV D/C North Karanpura to Chandwa Transmission Line
56.3254 ha.

17. Detailed opinion and specific recommendation of the State Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with remarks.

(While giving opinion, the adverse comments made by concerned Conservator of Forest or Deputy Conservator of Forests should be categorically reviewed critically commented upon) :-

Recommended for diversion of 56.3254 ha of Forest land.

Date :- 11.11.2020
Place :- Ranchi.

Signature

(A.K. Rastogi)
Nodal Officer
Name & Designation

Principal Chief Conservator of Forests
Cum-Executive Director
Waste Land Development Board
Jharkhand, Ranchi
(Official Seal)